क्रमांक / जिडिफाप्रालि / वनभूमि / व्यपवर्तन / स्टेज–2 / 2024 दिनांक 01.05.2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
राजनांदगांव वनमंडल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

o/c

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd., Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Rajnandgaon Forest Division under Rajnandgaon District of Chhattisgarh State, Area- 2.963 ha.**
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक / एफ–5–05 / 2022 / 10–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.03.2023

———0———

o/c

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमण्डल अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु 2.963 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत महाप्रबंधक जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर को वनभूमि के गैर–वानिकी उपयोग देने बाबत् संदर्भित पत्र के माध्यम से अंतिम चरण (Stage-II Approval) की स्वीकृति जारी की गई है।

उक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र 5 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :– पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र (5 प्रति में)।

(Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.)

(अरुण कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.), रायपुर की सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

कार्या. वनमण्डल अधिकारी
आवक क्र. ....
दिनांक 3.05.24
राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

दूरभाष : 07744–2), 226389 (नि.), ई–मेल dfo-rajnandgaon.cg@

ज्ञापन क्र. / तक.अधि. / 1566 राजनांदगांव, दिनांक 08/05/24

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त, दुर्ग

विषय :– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत भमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.963 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ :– छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पृ.क्रमांक / एफ–5–05 / 2022 / 10–2 दिनांक 29.03.2023

— 0000 —

विषयांतर्गत निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.963 हे. व्यपवर्तन के प्रकरण में (Stage – II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदान की गई है।

(Stage – II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्रं.	अधिरोपित शर्ते	पालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 1 संलग्न
2	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 2 संलग्न
3	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 3 संलग्न
4	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान मे रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 4 संलग्न
5	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सकें।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 5 संलग्न
6	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 6 संलग्न
7	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात्, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग / रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 7 संलग्न

8	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 8 संलग्न
9	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 9 संलग्न
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 10 संलग्न
11	वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशो का पालन किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 11 संलग्न
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेगें।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 12 संलग्न
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेगें।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 13 संलग्न
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक – 14 संलंग्न

आवेदक संस्थान से बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक–पृथक वचन पत्र सहित प्राप्त किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है। सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

संलग्न :– 04 प्रतियों में।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. क्र./तक.अधि./1567
राजनांदगांव, दिनांक 08/05/24

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)